भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3587

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

जल स्तर में गिरावट

3587. श्री हेमन्त पाटिल:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि 2030 तक जल स्तर में 50 प्रतिशत की गिरावट की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहरों में सूखा के संबंध में नीति तैयार करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कृषि और घरेलू उपयोग के लिए भूजल पर कम निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) और (ख): भूजल स्तर संबंधी ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पूरे देश में समय-समय पर क्षेत्रीय स्तर पर प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क के माध्यम से भूजल स्तर की निगरानी की जा रही है। नवंबर 2021 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों का नवंबर (2011-2020) के दशकीय औसत की तुलना से यह ज्ञात होता है कि मानीटरिंग किए गए लगभग 30% कुओं के भूजल स्तर में गिरावट पाई गई है और लगभग 70% कुओं के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की है। इनका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

जल राज्य का विषय है, भूजल भंडार में कमी को रोकने सहित जल प्रबंधन पर पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। हालांकि, देश में भूजल के संरक्षण, प्रबंधन और वर्षा जल संचयन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf । इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल का विवरण **अनुलग्नक-II** पर भी उपलब्ध है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश में जल की कमी वाले 256 जिलों में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया, जिसे देश में भूजल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार के लिए वर्ष 2021 के दौरान भी जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) अभियान शुरू किया गया था।

इसके अतिरिक्त कई राज्यों द्वारा जल संरक्षण / संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं जैसे राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबर', गुजरात में 'सुजलाम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतीय', आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में 'जल ही जीवन' और तमिलनाडु में कुडीमारमठ योजना।

(ग) और (घ): शहरी सूखा नीति तैयार करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय जल नीति में सूखा प्रबंधन पर प्रावधान/दिशानिर्देश शामिल हैं।

(ड): देश में भूजल निकासी के नियमन और नियंत्रण के लिए दिनांक 24.09.2020 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल रोटेशन, विविधीकरण और अन्य पहल सहित कृषि क्षेत्र में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए एक भागीदारी दृष्टिकोण के दिशा-निर्देश को अपनाने की आवश्यकता है।

अटल भूजल योजना (अटल जल) देश के जल संकट वाले कुछ क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसमें उपलब्ध भूजल और सतही जल के कुशल उपयोग के लिए समुदायों को शामिल कर ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना तैयार करने जैसे कार्य शामिल हैं।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को लागू कर रहा है, जो वर्ष 2015-16 से लागू है। पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल में मुख्य रूप से भूजल के निष्कर्षण को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर बल दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

"भूजल स्तर में गिरावट" के संबंध में दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3587 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

[नवंबर (2011 से 2020)] और नवंबर 2021 के माध्य के साथ राज्यवार दशकीय जल स्तर में विचलन

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषित कूपों की संख्या	वृद्धि						गिरावट						वृद्धि		गिरावट		ऐसे कूप जिनमें परिवर्तन नहीं देखा गया	
			0-2 मी		2-4मी		>4 मी		0-2 मी		2-4 मी		>4 मी							
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	आंध्र प्रदेश	706	419	59.3	87	12.3	50	7.1	124	17.6	14	2.0	11	1.6	556	79	149	21	1	0
2	अरुणाचल प्रदेश	10	2	20.0	0	0.0	0	0.0	8	80.0	0	0.0	0	0.0	2	20	8	80	0	0
3	असम	167	71	42.5	3	1.8	1	0.6	83	49.7	6	3.6	3	1.8	75	45	92	55	0	0
4	बिहार	593	395	66.6	78	13.2	11	1.9	102	17.2	7	1.2	0	0.0	484	82	109	18	0	0
5	चंडीगढ़	12	4	33.3	2	16.7	1	8.3	3	25.0	1	8.3	1	8.3	7	58	5	42	0	0
6	छत्तीसगढ	687	290	42.2	66	9.6	30	4.4	230	33.5	45	6.6	26	3.8	386	56	301	44	0	0
7	दादरा और नगर हवेली	17	15	88.2	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	15	88	2	12	0	0
8	दमन और दीव	5	2	40.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	4	80	1	20	0	0
9	दिल्ली	86	29	33.7	21	24.4	15	17.4	12	14.0	3	3.5	6	7.0	65	76	21	24	0	0
10	गोवा	68	9	13.2	0	0.0	1	1.5	52	76.5	5	7.4	1	1.5	10	15	58	85	0	0
11	गुजरात	746	278	37.3	122	16.4	112	15.0	140	18.8	50	6.7	44	5.9	512	69	234	31	0	0
12	हरियाणा	183	66	36.1	6	3.3	8	4.4	65	35.5	19	10.4	19	10.4	80	44	103	56	0	0

13	हिमाचल प्रदेश	86	40	46.5	5	5.8	2	2.3	36	41.9	1	1.2	1	1.2	47	55	38	44	1	1
14	जम्मू और कश्मीर	213	100	46.9	4	1.9	3	1.4	99	46.5	4	1.9	3	1.4	107	50	106	50	0	0
15	झारखंड	198	132	66.7	17	8.6	1	0.5	45	22.7	3	1.5	0	0.0	150	76	48	24	0	0
16	कर्नाटक	1290	709	55.0	265	20.5	123	9.5	159	12.3	20	1.6	14	1.1	1097	85	193	15	0	0
17	केरल	1304	868	66.6	145	11.1	39	3.0	227	17.4	17	1.3	8	0.6	1052	81	252	19	0	0
18	मध्य प्रदेश	1297	590	45.5	164	12.6	97	7.5	345	26.6	70	5.4	31	2.4	851	66	446	34	0	0
19	महाराष्ट्र	1727	856	49.6	321	18.6	161	9.3	317	18.4	47	2.7	24	1.4	1338	77	388	22	1	0
20	मेघालय	24	10	41.7	1	4.2	0	0.0	13	54.2	0	0.0	0	0.0	11	46	13	54	0	0
21	नगालैंड	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50	1	50	0	0
22	ओडिशा:	1245	650	52.2	32	2.6	2	0.2	517	41.5	35	2.8	8	0.6	684	55	560	45	1	0
23	पांडिचेरी	6	3	50.0	1	16.7	0	0.0	2	33.3	0	0.0	0	0.0	4	67	2	33	0	0
24	पंजाब	176	46	26.1	7	4.0	1	0.6	74	42.0	38	21.6	10	5.7	54	31	122	69	0	0
25	राजस्थान	918	248	27.0	80	8.7	44	4.8	290	31.6	114	12.4	141	15.4	372	41	545	59	1	0
26	तमिलनाडु	538	201	37.4	146	27.1	113	21.0	54	10.0	13	2.4	11	2.0	460	86	78	14	0	0
27	तेलंगाना	537	203	37.8	114	21.2	133	24.8	73	13.6	5	0.9	9	1.7	450	84	87	16	0	0
28	त्रिपुरा	22	8	36.4	0	0.0	0	0.0	11	50.0	3	13.6	0	0.0	8	36	14	64	0	0
29	उत्तर प्रदेश	646	358	55.4	102	15.8	21	3.3	118	18.3	32	5.0	15	2.3	481	74	165	26	0	0
30	उत्तराखंड	45	23	51.1	3	6.7	2	4.4	9	20.0	4	8.9	4	8.9	28	62	17	38	0	0
31	पश्चिम बंगाल	721	417	57.8	87	12.1	34	4.7	117	16.2	34	4.7	31	4.3	538	75	182	25	1	0
कुल		**14275**	**7043**	**49.3**	**1880**	**13.2**	**1006**	**7.0**	**3328**	**23.3**	**591**	**4.1**	**421**	**2.9**	**9929**	**70**	**4340**	**30**	**6**	**0**

*****

<u>अनुलग्नक-II</u>

"भूजल स्तर में गिरावट" के संबंध में दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3587 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

<u>भूजल संसाधनों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण पहल</u>

भारत सरकार द्वारा भारत के 256 जिलो के जल की कमी वाले ब्लॉको मे भूजल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार करने की उदेश्य से मिशन मोड पर समयबद्ध अभियान के रूप मे वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान (जेएसए) की शुरुवात की गई।

इसके अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान पूरे देश भर में सभी जिलो (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉको को शामिल करते हुए "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" विषय के साथ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए:सीटीआर) की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को की गई थी।

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय क्षेत्र की अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। अटल जल का कार्यान्वयन सात राज्यो नामतः गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जल की कमी वाले 80 जिलो और 8565 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी) द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान - 2020' तैयार किया गया है। मास्टर प्लान - 2020 देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक वृहद स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान - 2020 में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडबल्यूबी) द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के हिस्से के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। नैक्यूम मे देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जलभृतों (जल धारण संरचनाओं) की मैपिंग, उनके विशिष्टीकरण तथा जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। नैक्यूम से प्राप्त निष्कर्षो को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता हैं।

भारत सरकार सामान्यतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मानरेगा) और प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक (पीएमकेएसवाई-डबल्यूडीसी), 'सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों योजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर)' पीएमकेएसवाई के एक घटक के माध्यम से देश में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण / जल संचयन कार्यों को सहायता प्रदान करती है।

******